मॉस्क लगाएं-कलेक्टर

रतलाम, नप्र। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मॉस्क जरूर लगाएं। बाजारों में कोई भी मॉस्क नहीं पहन रहा है। इसके लिए बाजार में अब सख्ती की जाएगी। यह कहना है कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर ने जिले के सभी आमजनों से सुरक्षा बरतने की अपील करते हुए कहा कि हर तरह के प्रतिबंध हट चुके हैं। बाजार खुल चुके है देखने में आ रहा है कि बाजार में लोगों ने सुरक्षा को नजरअंदाज कर लापरवाही बरतना शुरू कर दी है।

मास्क का उपयोग करना तो बंद ही कर दिया है। बाजारों में अब कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है जबकि मास्क सुरक्षा का बेहत्तर उपाय है। इसके लिए मास्क के लिए सख्ती शुरू की जाएगी।। कलेक्टर ने नागरिकों से अनुरोध है कि घर से निकलते ही मास्क जरूर लगाएं किसी भी तरह के संक्रमण में मास्क ही एकमात्र उपाय है जो हमें सुरक्षित रखता है। आपने कहा कि वैक्सीनेशन हमारे पास दूसरा उपाय है। इन दोनों उपायों का कड़ाई से पालन करेंगे तो आगामी संकट की बात जो विश्व के कई देशों में हो रही है उससे हम अपेक्षाकृत रुप से सुरक्षित रह पाएंगे।

कलेक्टर ने बताया कि अभी जिले मे एक लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको दूसरा टीका लगना बाकी है। उनका समय तो हो गया लेकिन लगवाने नहीं आ रहे है। यह जिले के लिए चिंताजनक बात है, हम ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सूचनाओं के अनुसार अफ्रीका में एक नया वेरिएंट आया है। अपने देश के कुछ हिस्सो में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे है। यद्यपि यह राहत की बात है कि वर्तमान में रतलाम में अभी कोई केस नहीं है। लेकिन हमने पिछले अनुभवों से जाना है संक्रमण फैलने में देर नहीं लगती।

कोविड से मौत... 307 आवेदन

रतलाम, नप्र। कोविड-19 संक्रमण से जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके वारिसान को अनुग्रह राशि देने के लिए पूरे जिले में कैंप लगाए। इस दौरान 307 आवेदन आए, जिनका परीक्षण उपरांत कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि रतलाम कलेक्टोरेट परिसर के अलावा जिले की जनपद पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में भी केम्प आयोजित किए। रतलाम कलेक्टर परिसर में 190 आवेदन आए जबकि जावरा में 30, पिपलौदा में 50 तथा बाजना में 10, ताल नगर पालिका में 11, नगर पालिका आलोट में 7 आवेदन आए। कैंप में आवेदन का प्रारूप भी आवेदकों को उपलब्ध कराया जिसकी पूर्ति आवेदकों से कराई। इस दौरान ऑफीस अधीक्षक प्रभाकांत उपाध्याय, सहायक नवीन त्रिवेदी, अंकिता व्यास, मनीष माथुर, अभिषेक पालीवाल, श्याम वर्मा, नगर निगम उपयंत्री राजेश पाटीदार, अनिता ठाकुर, मनीष तिवारी, नायब तहसीलदार पूजा भाटी, मनोज चौहान, राजस्व निरीक्षक शुभम तिवारी, पटवारी दिग्विजय जलधारी आदि ने तैनात रहकर सक्रियता से काम किया।

प्रभातकिरण 30/11/21

अवधि पूर्ण होने के बाद भी नहीं किया जा रहा भुगतान

जनसुनवाई में 32 आवेदनों के निराकरण हेतु निर्देश दिए

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे द्वारा 32 प्रकरणो की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई के दौरान ग्राम धामनोद निवासी बसन्तीलाल परिहार ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुरा तहसील सैलाना में शाला प्रभारी द्वारा किचन शेड का ठेका 2 लाख रुपए में दिया गया था। प्रार्थी द्वारा कार्य पूर्ण कर देने के बाद भी 25 हजार रुपए लेना शेष है, जब भी शाला प्रभारी से राशि देने की बात की जाती है तो उनके द्वारा टालमटोल कर दिया जाता है। उक्त कार्य पूर्ण किए हुए करीब डेढ साल हो चुका है और प्रार्थी को अभी तक शेष 25 हजार रुपए की राशि नहीं मिल पाई है। प्रकरण निराकरण हेतु डीईओ रतलाम तथा सीईओ जनपद पंचायत सैलाना को भेजा गया है।

जावरा निवासी शकील शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी द्वारा सहारा इंडिया की आलोट शाखा में दैनिक बचत योजना के तहत 1 लाख 7600 रुपए जमा किए गए थे। परिपक्वता अवधि पर्ण होने के बाद जब प्रार्थी द्वारा राशि निकलवाना चाही तो भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी एक दुर्घटना में घायल हो गया है जिसके चलते उपचार के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता है। सहारा इंडिया से रुपए दिलाने का कष्ट किया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित किया गया है।

ग्राम धामनोद निवासी कौशल्याबाई ने बताया कि नगर परिषद् धामनोद के कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारी द्वारा व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन वेल्डिंग कार्य हेतु जारी कर फर्जीवाडा किया जा रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम ग्रामीण को भेजा गया है।

राज एक्सप्रेस 1/12/21

कोरोना का असर

मास्क नहीं लगाया तो लगेगा ₹ 100 जुर्माना, भोपाल की तर्ज पर ₹ 500 वसूलने पर विचार

प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देख सीएम के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी बरती सख्ती

रतलाम. देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद अब रतलाम में भी प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। इसके चलते मंगलवार देर शाम कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई जिसमें कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपए जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों 100 रुपए फाइन वसूला जाए। भोपाल में जिस प्रकार 500 रुपए फाइन किया गया है, उसी प्रकार जिले में भी मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपए फाइन वसूलने पर विचार किया जा रहा है।

आज लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित करे

1 दिसंबर को वैक्सीनेशन महा अभियान का लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महा अभियान तैयारी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 1 दिसंबर को जिले में 66 हजार वैक्सीन लगाए जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूल आने वाले बच्चों से पूछा जाए कि उनके माता-पिता ने वैक्सीन लगवाया या नहीं।

लापरवाही बरतने पर निलंबन के निर्देश

विगत महाअभियान की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही पाए जाने पर नोडल अधिकारी बनाए गए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आलोट अनुविभाग में पदस्थ दो उपयंत्रियों तथा आबकारी विभाग के एक निरीक्षक को निलंबित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। पत्रिका

माफिया पर कार्रवाई में तेजी लाएंगे

माफिया के विरुद्ध कार्रवाई में अब और तेजी लाई जाएगी। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इस संबंध में अपर कलेक्टर को निर्देश दिए कि उनकी अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी द्वारा बैठक आयोजित कर माफियाओं द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अपराध की जांच की जाकर सजा दिलवाई जाए।

पत्रिका 1/12/21

सख्ती... बिना मास्क पकड़े गए तो 100 रुपए फाइन, जल्द 500 रुपए करेंगे

आज जिले में 66 हजार लोगों को लगेगी वैक्सीन, लापरवाही पर तीन निलंबित

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में अब दोबारा सख्ती की जा रही है। अब यदि आप बिना मास्क पहने पकड़े जाते है तो 100 रुपए का चालान देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं... चालान की इस राशि को बढ़ाने पर भी प्रशासन विचार कर रहा है। यदि फैसला हो गया तो जल्द ही 500 रुपए भी देने पड़ सकते है। लापरवाही बरतने पर मंगलवार को तीन अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है।

1 दिसंबर को वैक्सीनेशन महा अभियान चलाया जाएगा। इसमें 66 हजार लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है कि स्कूल आने वाले बच्चों से पूछा जाए कि उनके माता-पिता ने वैक्सीन लगवाया या नहीं। वहीं, पिछले महाअभियान की समीक्षा में काम में लापरवाही मिलने पर नोडल अधिकारी बनाए गए पीएचई विभाग के आलोट अनुविभाग में पदस्थ दो उपयंत्रियों और आबकारी विभाग के एक निरीक्षक को निलंबित करने का कहा। कलेक्टर ने कहा शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के परिवार भी शत-प्रतिशत वैक्सीनेट हो। जिले में अभी एक लाख से ज्यादा लोग सेकंड डोज के लिए ड्यू है, जो चिंता का विषय है।

यूरिया खाद को लेकर लापरवाही ना करें

कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को कहा है कि यूरिया खाद को लेकर लापरवाही ना करें। खाद की स्थिति की समीक्षा करते रहे। आंगनवाड़ी में बच्चों को पका भोजन उपलब्धता की जानकारी कलेक्टर ने दी। जिले के सैलाना, बाजना, ताल, आलोट क्षेत्र में खासतौर पर मॉनिटरिंग का कहा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा में ऊर्जा विभाग को 90 प्रतिशत अंक लाने, खाद्य विभाग को अंकों में बढ़ोतरी करने का कहा है। नगर निगम के 651 आवेदन पेंडिंग मिले, 2 सप्ताह में निराकरण करने का कहा है।

दै. भास्कर 1/12/21

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 32 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित दिए

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे द्वारा 32 प्रकरणो की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम धामनोद निवासी बसन्तीलाल परिहार ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुरा तहसील सैलाना में शाला प्रभारी द्वारा किचन शेड का ठेका 2 लाख रुपए में दिया गया था। प्रार्थी द्वारा कार्य पूर्ण कर देने के बाद भी 25 हजार रुपए लेना शेष है, जब भी शाला प्रभारी से राशि देने की बात की जाती है तो उनके द्वारा टालमटोल कर दिया जाता है। उक्त कार्य पूर्ण किए हुए करीब डेढ साल हो चुका है और प्रार्थी को अभी तक शेष 25 हजार रुपए की राशि नहीं मिल पाई है। प्रकरण निराकरण हेतु डीईओ रतलाम तथा सीईओ जनपद पंचायत सैलाना को भेजा गया है।

जावरा निवासी शकील शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी द्वारा सहारा इंडिया की आलोट शाखा में दैनिक बचत योजना के तहत 1 लाख 7600 रुपए जमा किए गए थे। परिपक्वता अवधि पर्ण होने के बाद जब प्रार्थी द्वारा राशि निकलवाना चाही तो भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी एक दुर्घटना में घायल हो गया है जिसके चलते उपचार के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता है। सहारा इंडिया से रुपए दिलाने का कष्ट किया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित किया गया है।

ग्राम धामनोद निवासी कौशल्याबाई ने बताया कि नगर परिषद् धामनोद के कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारी द्वारा व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन वेल्डिंग कार्य हेतु जारी कर फर्जीवाडा किया जा रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम ग्रामीण को भेजा गया है।

अवन्तिका।

अवन्तिका 1/12/21

तिलक लगा श्रीफल भेंट कर किया सफाई मित्रों का सम्मान

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के अवसर पर झोन क्रमांक -1 में उत्सवी वातावरण में सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। नगर निगम आयुक्त ने शहवासियों से किया आव्हान- आपका सहयोग और सहकार-जीतेंगे हम इस बार

प्रसारण न्यूज • रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के परीणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देश आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत मंगलवार को झोन क्रमांक -1 में स्थित आम्बेडकर सभागृह में उत्सवी वातावरण में सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सफाई मित्रों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद इन्हे फुलमालाओं के साथ श्रीफल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया।। सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरुक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में आए बेहतर

परिणामों के लिए सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छगृहीगणों आदि का सम्मान किया जाना है।

अभियान के दूसरे दिन शहर के चारों झोनों पर समारोह आयोजित कर सफाई मित्रों, सहयोगी संस्थाओं और स्वच्छगृहीगणों आदि का पुष्प मालाओं, पुष्प गुच्चों व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि सफाई मित्र सहित स्वच्छता कार्य में लगे तमाम लोग हमारी सेना है। इस सेना के कारण इस वर्ष रतलाम शहर को स्वच्छता रैंकिग में बेहतर स्थान मिला है। अब हम सबका दायित्व है कि स्वच्छता के लिए हम शहरवासियों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरुक करे।

श्री झारिया ने बताया कि स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इधर-उधर कचरा नहीं भेजना चाहिए। कचरा हमेशा कचरा संग्रहण वाहन के अलग -अलग खानों में डाला चाहिए में ही फेंकना चाहिए। कहा भी गया है स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। इसलिए स्वच्छता को अपनाएं और शहर को आगे बढ़ाएं। बेहतर साफ-सफाई से ही शहर को आदर्श बनाया जा सकता है। अतः स्वच्छता के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें।

इस अवसर पर उपायुक्त विकास सोलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी जी.के. जायसवाल, झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान, दिव्या पाटीदार व शैलेन्द्रसिंह कटारिया, अशोक शर्मा सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहें।

प्रसारण 1/12/21

लोक अदालत के आयोजन को लेकर नगर निगम अधिकारियों की बैठक हुई

रतलाम ● प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में ए.डी.आर. सेंटर में अरुण श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं योगेन्द्र कुमार त्यागी, जिला न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, जिला न्यायालय द्वारा नगर पालिक निगम डिप्टी कमिश्नर विकास सोलंकी ,ज्योति सुनारिया एवं अन्य अधिकारीगण के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर एवं संपत्तिकर के संभावित प्रकरणों की जानकारी ली गई तथा पिछली लोक अदालतों से अधिक संख्या में प्रकरण निराकृत करवाने तथा अधिक राजस्व वसूली के निर्देश दिए गए।

इस संबंध में विकास सोलंकी सहायक आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि समस्त कचरा गाड़ियों पर लोक अदालत का जिंगल बजाया जाएगा, समय-समय पर प्रेस नोट तथा पॅंपलेट्स वितरण किए जाएंगे ,ताकि अधिक से अधिक लोग लाभांवित हो सके। स्वदेश

स्वदेश 1/12/21

अब गलत पार्किंग पर तीसरी आंख से रखी जा रही नजर

सीसीटीवी कंट्रोल रुम से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बना रही चालान

प्रसारण न्यूज • रतलाम

शहर के बेहाल यातायात को सुचारू करने के लिए रतलाम पुलिस एक्टिव हुई है। एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर अब तीसरी आंख याने सीसीटीवी कैमरे से गलत पार्किंग पर नजर रखते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आमजन को सड़क पर आगे तक वाहन खड़े न करने की समझाइश भी दे रही है।

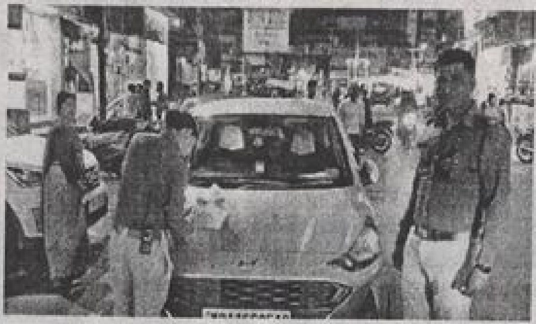

रतलाम शहर में यातायात की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण और गलत पार्किंग की वजह से बाजार में दिनभर जाम की स्थिति बनी रहना आम बात हो गई है। कुछ दिनों पूर्व सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी यातायात सुधारने के लिए कई निर्णय लिए गए लेकिन मैदानी स्तर पर कोई खास बदलाव देखने को अभी तक नहीं मिला है। निर्णय के अनुसार सड़कों पर पार्किंग लाइन जरूर खींची गई है।

अब रतलाम पुलिस ने एक्टिव होते हुए इस पार्किंग लाइन का पालन कराने के प्रयास शुरू कर दिए है। एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से गलत पार्किंग पर निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से बाजार क्षेत्र में पूरे समय यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। पार्किंग लाइन के बाहर वाहन खड़े करने पर सीसीटीवी कंट्रोल नंबर से यातायात पुलिस और संबंधित थाने को सूचना दी जा रही है। जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंच कर गलत पार्किंग में खड़े वाहन का चालान बना रहे हैं। पुलिस द्वारा आम जनता को लगातार अपने वाहन सही स्थान में पार्किंग करने की समझाइश भी दी जा रही है ताकि यातायात सुचारु रखा जा सके।

प्रसारण 1/12/21

कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने देने में करें सहयोग

मुख्यमंत्री चौहान का प्रदेश की जनता के नाम संबोधन

भोपाल ● 30 नवबंर (ए) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में कोरोना के नए वैरिएंट के केस आ रहे हैं। इसके लिए हमें अभी से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए इसके लिए हम सब मिलकर सहयोग करें। मुख्यमंत्री चौहान आज शाम कोरोना के संबंध में प्रदेश की जनता के नाम संबोधन दे रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मैं रोज कोरोना की स्थिति की समीक्षा करता हूं। नवम्बर माह में पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषकर पिछले एक सप्ताह से, पॉजिटिव आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर इंदौर और भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। भोपाल में 29 नवम्बर को 9 पॉजिटिव केस आए थे, आज 30 नवम्बर को 14 पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर में भी 5 केस आए हैं। बाकी जगह भी छुटपुट केस मिल रहे हैं। पुराना अनुभव हमको बताता है कि ये केसेस फिर धीरे-धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वैरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। स्वदेश

स्वदेश 1/12/21

हितग्राहियों को 5 दिसम्बर तक मिलेगा राशन

रतलाम ● जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह नवम्बर में जिन हितग्राहियों द्वारा 30 नवम्बर तक अपनी हकदारी का मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त नहीं किया गया है वे अपना राशन 5 दिसम्बर तक संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। यदि 5 दिसम्बर तक वे राशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। राशन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

डीटीटीसीसी की बैठक आज

रतलाम ● जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् (डीटीटीसीसी) की बैठक आज दोपहर 12.00 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में नवीन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत की गई है। बैठक में धोलावाड़ ईको टूरिज्म पार्क तथा पर्यटन महोत्सव का आयोजन किए जाने पर चर्चा की जाएगी।

स्वदेश 1/12/21

शेष हितग्राहियों को पांच तक मिलेगा राशन

रतलाम। माह नवंबर में जिन हितग्राहियों द्वारा 30 नवंबर तक अपनी हकदारी का मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त नहीं किया गया है वे अपना राशन पांच दिसंबर तक संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि यदि वे राशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। राशन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर संपर्क किया जा सकता है।

मंदसौर। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा मप्र राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी-2022 का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ख्यातिलब्ध कलाकारों के नाम से स्थापित रूपंकर एवं ललित कलाओं के 10 पुरस्कारों के लिए अकादमी ने 15 फरवरी तक कलाकृतियां भेजने को कहा है

नईदुनिया 1/12/21

● न्यूज फ्लेश

नवम्बर के शेष हितग्राहियों को 5 दिसम्बर तक मिलेगा राशन

रतलाम। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह नवम्बर में जिन हितग्राहियों द्वारा 30 नवम्बर तक अपनी हकदारी का मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त नहीं किया गया है वे अपना राशन 5 दिसम्बर तक संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। यदि 5 दिसम्बर तक वे राशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। राशन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमां 07412-270414 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रसारण

नवम्बर के शेष हितग्राहियों को 5 तक मिलेगा राशन

रतलाम। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह नवम्बर में जिन हितग्राहियों द्वारा 30 नवम्बर तक अपनी हकदारी का मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त नहीं किया गया है वे अपना राशन 5 दिसम्बर तक संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। यदि 5 दिसम्बर तक वे राशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। राशन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमां 07412-270414 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अग्निबाण

नवंबर में बाकी रह गए लोगों को 5 दिसंबर तक मिलेगा राशन

रतलाम | नवंबर में राशन लेने से वंचित रह गए हितग्राहियों को 5 दिसंबर राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन लेने की पात्रता समाप्त हो जाएगी। राशन मिलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष 07412-270414 पर संपर्क किया जा सकता है।

दै. भास्कर 1/12/21

6 अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध होगी एफआईआर

एफआईआर दर्ज करने हेतु थाना प्रभारियों को लिखा पत्र

प्रसारण न्यूज • रतलाम

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित नगरीय क्षेत्र रतलाम में 6 अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले 15 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज किए जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित थाना प्रभारियों को पत्र लिखा गया।

तेजसिंह-शंभूसिंह घभाई का वास द्वारा बजरंग नगर में 1.387 हैक्टर, शिवनारायण व अशोक-मांगीलाल राठौर 52/1, रामगढ़ द्वारा कनेरी रोड पर 2.75 हैक्टर, धन्नालाल-बालाराम पाटीदार कनेरी रोड द्वारा कनेरी रोड़ पर .960 हैक्टर, राधाबाई पति मनोहरलाल शर्मा, राकेश मनोहरलाल, विशाल-मनोहरलाल शर्मा शुभम् रेसीडेंसी द्वारा कनेरी रोड़ पर 1.890 हैक्टर, मुजीब-इनामुरेहमान अशोक नगर, अशरफ-अब्दुल कलाम बेलिम, अब्दुल वहीद-अब्दुल कलाम मोहन टॉकिज, बालकृष्ण-रामनारायण पिपलोदिया द्वारा अशोक नगर के पीछे 0.489 हैक्टर, सुमीत-बंशीलाल गांधी, राजेश-बाबूलाल कटकानी पोरवाड़को का वास, पंकज-शांतिलाल श्रीमाल बाजना बस स्टैण्ड व अरूणा-विजेन्द्र पितलिया गुलमोहर कॉलोनी द्वारा धोलावाड़ रोड़ पर 1.125 हैक्टर भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण करवाए जाने व नियम विपरित किए गए निर्माण को नगर निगम द्वारा तोड़े जाने की राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित थाना प्रभारियों को कॉलोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत अवैध कॉलोनाईजेशन के तहत एफ आई आर दर्ज किए जाने हेतु पत्र लिखा गया।

ज्ञातव्य है कि कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में उक्त अवैध कॉलोनी से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए निर्धारित 15 हजार रूपए प्रति घन्टे के मान से राशि वसूली जाएगी, जिसके तहत उक्त कॉलोनी निर्माण करने वालो को अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने हेतु शीघ्र नोटिस जारी किया गया था।

प्रसारण 1/12/21

गलत पार्किंग पर तीसरी आंख से रखी जा रही नजर

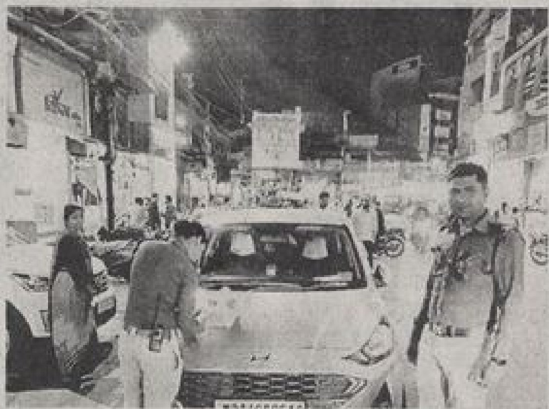

रतलाम। शहर के बेहाल यातायात को सुचारू करने के लिए रतलाम पुलिस एक्टिव हुई है। एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर अब तीसरी आंख याने सीसीटीवी कैमरे से गलत पार्किंग पर नजर रखते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आमजन को सड़क पर आगे तक वाहन खड़े न करने की समझाइश भी दे रही है।

▸ सीसीटीवी कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बना रही चालान

रतलाम शहर में यातायात की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण और गलत पार्किंग की वजह से बाजार में दिनभर जाम की स्थिति बनी रहना आम बात हो गई है। कुछ दिनों पूर्व सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी यातायात सुधारने के लिए कई निर्णय लिए गए लेकिन मैदानी स्तर पर कोई खास बदलाव देखने को अभी तक नहीं मिला है। निर्णय के अनुसार सड़कों पर पार्किंग लाइन जरूर खींची गई है।

अब रतलाम पुलिस ने एक्टिव होते हुए इस पार्किंग लाइन का पालन कराने के प्रयास शुरू कर दिए है। एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से गलत पार्किंग पर निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से बाजार क्षेत्र में पूरे समय यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। पार्किंग लाइन के बाहर वाहन खड़े करने पर सीसीटीवी कंट्रोल नंबर से यातायात पुलिस और संबंधित थाने को सूचना दी जा रही है । जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंच कर गलत पार्किंग में खड़े वाहन का चालान बना रहे हैं । पुलिस द्वारा आम जनता को लगातार अपने वाहन सही स्थान में पार्किंग करने की समझाइश भी दी जा रही है ताकि यातायात सुचारु रखा जा सके।

कंट्रोल रूम से दी जा रही सूचना

एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से गलत पार्किंग पर निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से बाजार क्षेत्र में पूरे समय यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। पार्किंग लाइन के बाहर वाहन खड़े करने पर सीसीटीवी कंट्रोल नंबर से यातायात पुलिस और संबंधित थाने को सूचना दी जा रही है ।

नवभारत

नवभारत 1/12/21

ाद निकालने के लिए 3.47 करोड़ रुपए से होगा काम

अब मिलेगी राहत : अमृत सागर तालाब में से जलकुंभी निकालने टेंडर हुआ मंजूर

पत्रिका सोशल प्राइड

त्रिका न्यूज़ नेटवर्क
atrika.com

तलाम. अमृत सागर तालाब के रीब रहने वाले करीब 30 हजार हवासियों को तालाब की गंदगी से क्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने .47 करोड़ रुपए वाली निविदा को ंजूर कर लिया है। इसके पूर्व 2.70 रोड़ रुपए की निविदा को गाद कालने के लिए मंजूर किया था।

अब दिसंबर माह में वर्क ऑर्डर ए जाएंगे। इसके बाद अमृत सागर ालाब से जलकुंभी निकलना शुरू ोगी। बता दे कि इस क्षेत्र में कार्तिक व्यायामशाला के सत्तु पहलवान धर्म ध्वजा यात्रा तालाब को बेहतर करने के निकाले हुए है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2017 में आर्द्र भूमि संरक्षण नियम बनाया था। दिसंबर 2019 में मंत्रालय ने नगर निगम की पहल पर 2100.9721 लाख रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी। इस राशि में नगर निगम को अमृत सागर को पूरा साफ करते हुए जलकुंभी तो निकलवाना ही है, इसके साथ साथ वर्षो से जो गाद जमी हुई है उसको भी साफ करवाना है। इसके बाद इस क्षेत्र में तालाब में नोकाविहार की शुरुआत सहित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमृत सागर तालाब क्षेत्र के बगीचे को और बेहतर संवारा जाएगा।

इस तरह चली कार्रवाई

24 सितंबर 2020 को अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौंदर्यीकरण के लिए गठित वित्तिय कमेटी की बैठक हुई थी। परियोजना अंतर्गत कुल 10 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत सबसे पहले अमृत सागर तालाब में जो जलकुंभी, खरपतवार, पेड़ व पौधे सहित घांस, काई, झाड़ियां आदि हो गई है, उसको निकालने के लिए विशेष मशीन की खरीदी की जाना जरूरी माना गया। निगम के अनुसार एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन को खरीदने के बाद ही तालाब में से जलकुंभी को निकालना शुरू किया जाएगा।

इसलिए किए गए टेंडर

नगर निगम ने मशीन खरीदी के लिए तो टेंडर किए ही है इसके साथ साथ इस कार्य को 10 वर्ष तक संचालित किया जाए व बार बार जलकुंभी नहीं जमे इसके लिए ही 2.70 करोड़ रुपए की निविदा दस साल के लिए की गई है। इसके अलावा अब नौकाविहार आदि बेहतर हो सके इसके लिए गाद निकालना भी जरूरी है। इसके लिए 3.47 करोड़ रुपए की निविदा को भी मंजूर किया है।

जल्दी शुरू करेंगे कार्य

अमृत सागर तालाब में से जलकुंभी व गाद निकालने की अलग-अलग कार्य की निविदा मंजूर हो गई है। वर्क ऑर्डर जल्दी दे दिए जाएंगे। क्षेत्र के 30 हजार से अधिक रहवासियों को लाभ होगा। - **सोमनाथ झारिया**, आयुक्तननि

पत्रिका

पत्रिका 1/12/21

पेंशन हितग्राहियों का आज अमृत सागर उद्यान में होगा भौतिक सत्यापन

रतलाम। रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नि:शक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले शेष रहे हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन एम. पेंशन मित्र पोर्टल पर किये जाने हेतु झोन-कार्यालयों पर शिविर आयोजित किये गये है जिसके तहत 30 नवम्बर मंगलवार को अमृत सागर उद्यान में शिविर आयोजित किया गया है। अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड में 29 नवम्बर सोमवार को आयोजित शिविर में 136 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया अब तक 5304 हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। भौतिक सत्यापन हेतु झोन कार्यालयों पर आयोजित किये गये शिविरों के तहत 30 नवम्बर मंगलवार को झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान में वार्ड क्रमांक 15, 16, 17, 18, 22, 23, 45, 46, 47, 48 व 49 के हितग्राही तथा 01 दिसम्बर बुधवार को झोन क्रमांक 4 हरमाला पम्प हाउस में वार्ड क्रमांक 19, 20, 21, 24, 25, 26, 40, 41, 42, 43 व 44 के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन प्रात: 10 से सांय 6 बजे तक किया जायेगा।

नवभारत 1/12/21

65 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को 65 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 12885, ट्रैक्टर-ट्राली से 17370, काम्पेक्टर सूखा कचरा 18910, काम्पेक्टर गीला कचरा 16615 कुल 65870 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

5308 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को अमृत सागर उद्यान में आयोजित शिविर में 140 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस तरह अब तक 5308 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। एक दिसंबर को हरमाला रोड पंप हाउस पर शिविर लगेगा।

नईदुनिया 1/12/21

सीएम शिवराज बोले- मप्र में कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए अभी से सावधानी जरूरी

प्रसारण न्यूज • भोपाल

भोपाल-इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने मंगलवार को जनता के नाम संबोधन में कहा कि एक हफ्ते से लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे, एक्टिव केस भी बढ़े हैं। विशेषकर इंदौर, भोपाल में रोज नए केस मिल रहे हैं। 30 नवंबर को भोपाल में 14 और इंदौर में पांच केस आए। अन्य जिलों में भी केस मिले हैं। पुराना अनुभव बताता है कि केस धीरे-धीरे बढ़ते हैं। अफ्रीका में नया वेरियंट मिला है, उसने दुनिया को चिंतित कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी मुश्किल से खुली हवा में सांस ली है। स्थिति सामान्य बनती जा रही थी, अब न बिगड़े। हम तीसरी लहर को आने से रोक दें। इसलिए अभी से सावधानी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने सभी धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी संगठन, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, युवाओं से अपील की है कि तीसरी लहर रोकने में सहयोग दें। उन्होंने कहा सावधानी के तौर पर हमने स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत कर दी है। वह भी माता-पिता की अनुमति लेकर ही जा सकेंगे। अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं, आक्सीजन संयंत्र, दवाएं, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन की तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सावधानी ही सुरक्षा है, वही हमें बचाएगी। बुधवार को आपदा प्रबंधन समितियों से अपील करूंगा कि तीसरी लहर के खिलाफ अभी से कमर कस लें। सक्रिय होकर स्थिति पर नजर रखें। पूरा भरोसा है आपके सहयोग से मप्र को तीसरी लहर के संकट से बचा लेंगे।

मास्क जरूर लगाएं और जांच भी कराएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर अब मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं। जिस संकट से हम दूसरी लहर में गुजरे हैं। उसकी तकलीफ भूले नहीं हैं। हमें सावधान रहना होगा। मैं लगातार बैठकें लेकर तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के निर्देश दे रहा हूं, पर सहयोग आपको भी करना होगा। ताकि हम तीसरी लहर को न आने दें। इसलिए मास्क जरूर लगाएं।

भीड़ से बचें, दूरी बनाएं। हाथ साफ करते रहें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोरोना की जांच से बचते हैं, पर ऐसा न करें।जांच जरूर कराएं। उससे हमें सही स्थिति पता चलेगी। संक्रमितों को आइसालेट करना पड़ेगा। घर को कंटेंट किया जाएगा। इसमें सहयोग करें। उन्होंने अपील की कि वैक्सीन की दूसरी डोज जरूर लगवाएं।

भोपाल में सबसे ज्यादा 14 संक्रमित मिले, इंदौर 5 और जबलपुर में 1 पॉजिटिव

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20 केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 14 केस राजधानी भोपाल के है। वहीं, इंदौर में 5 और जबलपुर में 1 पॉजिटिव मिला है। 28 नवंबर को प्रदेश में 12 केस मिले थे। इसकी सरकार ने राहत की सांस ली थी, लेकिन 29 नवंबर को आंकड़ा फिर बढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों की कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री पर फोकस कर रहा है। ताकि, उनके टेस्ट भी हो सके। पिछले 10 दिन में प्रदेश में 160 नए केस आ चुके हैं। इनमें अकेले भोपाल में ही 71 केस शामिल हैं। वहीं, इंदौर में 66 केस मिल चुके हैं। जबलपुर, ग्वालियर, रायसेन, दमोह, शहडोल, बैतूल, होशंगाबाद, श्योपुर, बड़वानी में भी केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में संक्रमित मिले हैं। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया, 29 नवंबर को प्रदेश में 53 हजार से अधिक टेस्ट किए गए थे। इनमें 20 पॉजिटिव केस मिले हैं। मध्यप्रदेश में पिछले 10 दिन में 160 नए पॉजिटिव मिले हैं। 20 नवंबर को 17, 21 नवंबर को 13, 22 नवंबर को 12, 23 नवंबर को 22, 24 नवंबर को 14, 25 नवंबर को 9, 26 नवंबर को 23, 27 नवंबर को 18, 28 नवंबर को 12 और 29 नवंबर को 20 केस मिले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 53 हजार 224 कोरोना के टेस्ट किए गए। इनमें 20 पॉजिटिव मिलें। वहीं, 27 लोग स्वस्थ हुए। अभी प्रदेश में 119 केस एक्टिव है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 7 लाख 93 हजार 161 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 7 लाख 82 हजार 514 ठीक हो गए। कोरोना के कारण 10 हजार 528 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं, प्रदेश में रिकवरी रेट 98.65% है। वहीं, पॉजिटिविटी रेट 0.03% है।

प्रसारण।

प्रसारण 1/12/21

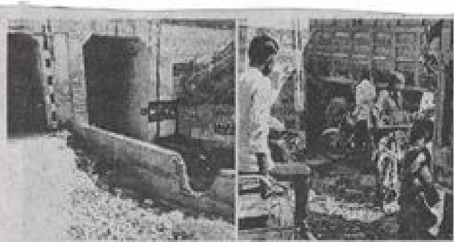

अंडरब्रिज मरम्मत हेतु कलेक्टर को पत्र भेजा

रतलाम ● बस स्टैण्ड अंडरब्रिज रिपेयर करने हेतु क्षेत्रीय नागरिक मयंक कठियारी ने जिलाधीश कुमार पुरुषोत्तम को एक पत्र भेजा। पत्र में बताया कि भक्तन की बावड़ी अंडरब्रिज पर आए दिन जाम लग जाता है, साथ ही ब्रिज के बाहर की हालत बहुत ही दयनीय हो रही है। 19 सितंबर को हुई तेज बारिश से ब्रिज की रोड बह गई, जिसकी सुध जिम्मेदारों ने अब तक नहीं ली। यहां इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि कोई गिरे तो बचना असंभव है और आए दिन जाम लग जाता है। कृपया आप संबंधित विभाग से बात कर पास का पुल जिसके अंदर से पानी जा रहा है उस पर दो पहिया वाहन आने-जाने का कम बजट का पुल बनवाने एवं गड्ढे को भरवाने का कष्ट करें। स्वदेश

स्वदेश 1/12/21

जनसुनवाई में पीड़ित ने लगाई गुहार

69 दिन बाद भी नहीं हुआ अविवादित नामांतरण

तहसील और पटवारी की शिकायत जनसुनवाई में

रतलाम ● स्वदेश समाचार

अविवादित नामांतरण के आवेदन 30 दिन में निराकृत किए जाने के आदेश मुख्यमंत्री ने जारी किए है, लेकिन रतलाम में अविवादित-नामांतरण आदेश होने के बाद भी 69 दिन हो गए है, परन्तु अभी तक भू-अभिलेखों में अमल नहीं हुआ है।

यह शिकायत नीमचौक निवासी मोहनलाल धनराज चौपड़ा ने मंगलवार को कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई के दौरान आवेदन देकर की है। श्री चौपड़ा ने बताया कि विरियाखेड़ी की सर्वे नंबर 32 की भूमि में से रकबा 200 है, भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई थी एवं पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 109,110 के तहत न्यायालय तहसीलदार रतलाम शहर के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर 21 सितंबर को आवेदन के आधार पर नामांतरण स्वीकृत कर आदेश पारित कर दिया गया था, साथ ही 24 सितंबर को पटवारी ग्राम विरियाखेड़ी को भू-अभिलेखों में अमल बरामद करने हेतु पृथक से पत्र भी दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक भू-अभिलेख में प्रार्थी का नामांतरण नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि का बंटाकन एवं सीमांकन कराना चाहता है, परन्तु वर्तमान खसरे में प्रार्थी का नाम नहीं आने से वह आवेदन नहीं कर पा रहा है। जब पटवारी के ऑफिस में जाकर नामांतरण हेतु कहा जाता है तो एक-दो दिन का कहकर नामांतरण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी की सुनवाई न तो तहसील कार्यालय में और ना ही पटवारी द्वारा की [illegible] है। प्रार्थी को शीघ्र ही नामांतरण के आदेश जारी किए जाए।

किचन शेड का ठेका पूरा होने के बाद भी नहीं किया पूरा भुगतान

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा 32 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम धामनोद निवासी बसन्तीलाल परिहार ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुरा तहसील सैलाना में शाला प्रभारी द्वारा किचन शेड का ठेका 2 लाख रुपए में दिया गया था। प्रार्थी द्वारा कार्य पूर्ण कर देने के बाद भी 25 हजार रुपए लेना शेष है, जब भी शाला प्रभारी से राशि देने की बात की जाती है तो उनके द्वारा टालमटोल कर दिया जाता है। उक्त कार्य पूर्ण किए हुए करीब डेढ़ साल हो चुका है और प्रार्थी को अभी तक शेष 25 हजार रुपए की राशि नहीं मिल पाई है। प्रकरण निराकरण हेतु डीईओ रतलाम तथा सीईओ जनपद पंचायत सैलाना को भेजा गया है। जावरा निवासी शकील शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी द्वारा सहारा इंडिया की आलोट शाखा में दैनिक बचत योजना के तहत 1 लाख 7600 रुपए जमा किए गए थे। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद जब प्रार्थी द्वारा राशि निकलवाना चाही तो भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी एक दुर्घटना में घायल हो गया है जिसके चलते उपचार के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता है। सहारा इंडिया से रुपए दिलाने का कष्ट किया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित किया गया है। ग्राम धामनोद निवासी कौशल्याबाई ने बताया कि नगर परिषद् धामनोद के कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारी द्वारा व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन वेल्डिंग कार्य हेतु जारी कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम ग्रामीण को भेजा गया है। स्वदेश

स्वदेश 1/12/21

निगम के कचरा वाहनों से देंगे लोक अदालत की जानकारी

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देशभर के साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 दिसंबर को जिला न्यायालय के साथ ही जावरा, सैलाना व आलोट तहसील न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नगर निगम द्वारा प्रचार-प्रसार के तहत अपने कचरा वाहनों पर लोक अदालत संबंधी जिंगल बजाएगा।

प्रधान जिला न्यायाधीश व प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेशकुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में प्राधिकर सचिव व जिला न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव और नोडल अधिकारी व जिला न्यायाधीश योगेंद्रकुमार त्यागी ने मंगलवार को लोक अदालत के संबंध में नगर निगम अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डिप्टी कमिश्नर विकास सोलंकी व ज्योति सुनारिया सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। उनसे लोक अदालत से संबंधित जलकर व संपत्तिकर के संभावित प्रकरणों की जानकारी लेकर इस बार ज्यादा प्रकरणों का निराकरण कराने व अधिक राजस्व वसूलने के निर्देश दिए गए। डिप्टी कमिश्नर सोलंकी ने बताया कि समय-समय पर पम्पलेट वितरित कराने के साथ आटो युक्त लाउडस्पीकर से प्रचार किया जाएगा। साथी ही कचरा वाहनों पर जिंगल बजाया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोक अदालत में शामिल होकर शासन द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ ले सकें।

नईदुनिया 1/12/21

सड़क पर गंदगी फैलाने पर 12 व्यक्तियों पर किया जुर्माना

भास्कर संवाददाता | रतलाम

स्वच्छता अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ निगम ने फिर मुहिम शुरू कर दी है। मंगलवार को 12 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला।

कार्रवाई मौर्य नमकीन सैलाना बस स्टैंड से 250 रुपए, अशरफ अली अमृत सागर, कुमार राठौर सैलाना बस स्टैंड, गोविंद महू रोड, अजय यादव दो बत्ती, राजेश, विनोद शहीद चौक, दीपक धानमंडी से 100 रुपए, दीपक अमृत सागर, विनोद कुमार सैलाना बस स्टैंड, शंकर धानमंडी से 50 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला। उधर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने वैक्सीनेशन कार्य के निरीक्षण के दौरान सैलाना रोड पर आवारा पशु देखे। इस पर आयुक्त ने पशु वाहन पर तैनात चरणसिंह भारतसिंह, मेहफुज-कालेखां, रामा व पूनमचंद रतन का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं।

दै. भास्कर 1/12/21

जांच के बाद अब कार्रवाई का बन रहा है मैप

शहर में अवैध कॉलोनी निर्माण पर 6 कॉलोनाइजर पर दर्ज होगी प्राथमिकी

नगर निगम ने पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारियों को लिखा पत्र

पत्रिका सिटी इश्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में नगर निगम की सीमा में अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण को लेकर प्रशासन और नगर निगम ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। 6 कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए निगम ने थाना प्रभारियों को पत्र लिखा है। कॉलोनाइजर पर एफआईआर की बात पर अब उक्त कॉलोनियों का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजरों के साथ अन्य कालोनाइजरों में भी हड़कंप मच गया है।

निगम के आला अधिकारियों की माने तो कॉलोनाइजरों के खिलाफ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित शहर में 6 अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले 15 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश के बाद संबंधित थाना प्रभारियों को पत्र लिखा गया है। इनमें 4 कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस थाना दीनदयाल नगर और एक-एक कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस थाना माणक चौक और पुलिस थाना स्टेशन रोड पर शिकायत दर्ज कराई गई है।

कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने के लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में टीम ने अवैध कॉलोनी से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए थे और निधारित 15 हजार रुपए प्रति घन्टे के मान से राशि वसूली जाना थी। इसके लिए कॉलोनी निर्माण करने वालों को अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

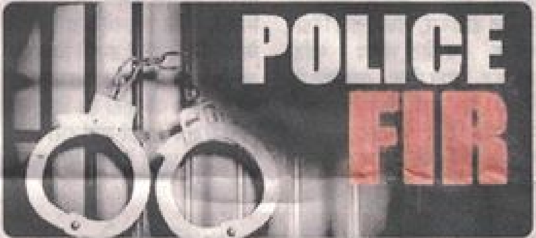

कार्रवाई के बाद नहीं जमा कराई राशि

निगम के अफसरों की माने तो उक्त भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण करवाए जाने व नियम विपरित किए गए निर्माण को नगर निगम ने तोड़ा था। तोड़े जाने की राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित थाना प्रभारियों को कॉलोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने पर मप्र नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत अवैध कालोनाईजेशन के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए पत्र लिखा है।

इनके खिलाफ एफआईआर के लिए लिखा

1. **तेजसिंह-शम्भूसिंह** धभाई जी का वास - बजरंग नगर में 1.387 हैक्टेयर।
2. **शिवनारायण व अशोक-मांगीलाल राठौर** - 52/1, रामगढ़ - कनेरी रोड कॉलोनी - 2.75 हैक्टेयर।
3. **धन्नालाल-बालाराम पाटीदार,** कनेरी रोड - कनेरी रोड कॉलोनी - .960 हैक्टेयर।
4. **राधाबाई पति मनोहरलाल शर्मा, राकेश मनोहरलाल, विशाल-मनोहरलाल शर्मा,** शुभम रेसीडेंसी - कनेरी रोड पर कॉलोनी - 1.890 हैक्टेयर।
5. **मुजीब-इनामुरेहमान अशोक नगर, अशरफ-अब्बुल कलाम बेलिम, अब्बुल वहीद-अब्बुल कलाम** मोहन टॉकिज, बालकृष्ण-रामनारायण पिपलोदिया - अशोक नगर के पीछे - 0.489 हैक्टेयर।
6. **सुमीत-बंसीलाल गांधी, राजेश-बाबुलाल कटकानी** पोरवाड़को का वास, पंकज-शांतिलाल श्रीमाल बाजना बस स्टैण्ड व अरूणा-विजेन्द्र पितलिया गुलमोहर कालोनी - धोलावाड़ रोड कॉलोनी - 1.125 हैक्टे.।-

अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण के मामले में 6 कॉलोनाइजर के 15 लोगों पर केस दर्ज किए जाने के संबंध में तीन पुलिस थाने को प्रस्ताव भेजे गए हैं। - **सोमनाथ झारिया,** नगर निगम आयुक्त

पत्रिका

पत्रिका 1/12/21

किचन शेड बनाया पूरा भुगतान नहीं मिला

जनसुनवाई में 32 आवेदन पर निराकरण के निर्देश

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिडे द्वारा 32 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम धामनोद निवासी बसंतीलाल परिहार ने अपने आवेदन में बताया कि प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुरा तहसील सैलाना में शाला प्रभारी द्वारा किचन शेड का ठेका दो लाख रुपये में दिया था। कार्य पूर्ण कर देने के बाद भी 25 हजार रुपये देने की बात पर शाला प्रभारी से द्वारा टालमटोल कर दिया जाता है। प्रकरण निराकरण के लिए डीईओ रतलाम तथा सीईओ जनपद पंचायत सैलाना को भेजा गया। ग्राम धामनोद निवासी कौशल्याबाई ने बताया कि नगर परिषद धामनोद के कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। प्रकरण एसडीएम ग्रामीण को भेजा गया।

नईदुनिया 1/12/21

डीटीटीसीसी की बैठक आज

रतलाम। जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (डीटीटीसीसी) की बैठक 1 नवम्बर को दोपहर 12.00 बजे कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में 1 दिसम्बर को दोपहर 12.00 बजे नवीन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत की गई है। बैठक में धोलावाड ईको टूरिज्म पार्क तथा पर्यटन महोत्सव का आयोजन किए जाने पर चर्चा की जाएगी।

नवभारत 1/12/21

डीटीटीसीसी की बैठक आज

रतलाम. जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (डीटीटीसीसी) की बैठक बुधवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में होगी। यह बैठक कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में होगी। इसमें धोलावाड ईको टूरिज्म पार्क तथा पर्यटन महोत्सव का आयोजन किए जाने पर चर्चा की जाएगी।

पत्रिका 1/12/21

जनसुनवाई में 32 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए

प्रसारण न्यूज • रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे द्वारा 32 प्रकरणो की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम धामनोद निवासी बसन्तीलाल परिहार ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुरा तहसील सैलाना में शाला प्रभारी द्वारा किचन शेड का ठेका 2 लाख रुपए में दिया गया था। प्रार्थी द्वारा कार्य पूर्ण कर देने के बाद भी 25 हजार रुपए लेना शेष है, जब भी शाला प्रभारी से राशि देने की बात की जाती है तो उनके द्वारा टालमटोल कर दिया जाता है। उक्त कार्य पूर्ण किए हुए करीब डेढ़ साल हो चुका है और प्रार्थी को अभी तक शेष 25 हजार रुपए की राशि नहीं मिल पाई है। प्रकरण निराकरण हेतु डीईओ रतलाम तथा सीईओ जनपद पंचायत सैलाना को भेजा गया है।

जावरा निवासी शकील शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी द्वारा सहारा इंडिया की आलोट शाखा में दैनिक बचत योजना के तहत 1 लाख 7600 रुपए जमा किए गए थे। परिपक्वता अवधि पर्ण होने के बाद जब प्रार्थी द्वारा राशि निकलवाना चाही तो भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी एक दुर्घटना में घायल हो गया है जिसके चलते उपचार के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता है। सहारा इंडिया से रुपए दिलाने का कष्ट किया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रेषित किया गया है। ग्राम धामनोद निवासी कौशल्याबाई ने बताया कि नगर परिषद् धामनोद के कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारी द्वारा व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन वेल्डिंग कार्य हेतु जारी कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम ग्रामीण को भेजा गया है।

प्रसारण 1/12/21

नोटिस के बजाए सीधे करेंगे तोड़ना शुरू

कॉलोनियों के बाद अब सड़क पर फैले अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान

15 हजार रुपए का दंड भी प्रतिघंटा लेंगे

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. अब तक अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाने वाला नगर निगम की नजर अब शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र पर है। निगम अब शहर के मध्य क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए नोटिस देने के बजाए सीधे तोड़ने की कार्रवाई तो करेगा ही इसके साथ - साथ तोड़फोड़ के दौरान होने वाले व्यय की राशि 15 हजार रुपए प्रतिघंटा की दर से भी वसूल करेगा। इतना ही नहीं, निगम का राजस्व व लोकनिर्माण विभाग का अमला उन कारोबारियों का सामान भी जब्त करेगा जो सड़क पर प्रचार के लिए रखी जाती हैं।

शहर की मुख्य रोड सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाई होने जा रही है। इसके लिए सूची बनाने के लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व उपायुक्त विकास सोलंकी ने विभाग के अधिकारियों को कह दिया है। सूची में शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र को भी शामिल करने को कहा गया है, जहां बार - बार जाम अतिक्रमण की वजह से लगता है। इसमे न्यू रोड, धानमंडी, नौलाईपुरा, चौमुखीपुल क्षेत्र, घास बाजार, दोलतगंज आदि क्षेत्र शामिल किए गए है।

यह बोला बैठक मे

मंगलवार को हुई बैठक में निगम आयुक्त झारिया नगर निगम के गठित दलो को कहा है शहर मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये। पत्रिका

हम अपील कर रहे है

बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें। निर्माण पाए जाने पर तोड़ा जाएगा व इसके एवज में 15 हजार रुपए के मान से राशि वसूली जाएगी। इसके अलावा शहर की सड़क पर जो दुकान की प्रचार सामग्री रखी जा रही है वो बंद करें अन्यथा उनको जब्त कर लिया जाएगा।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका 1/12/21

संक्रमण के कुछ ही मामले सामने आए हैं, लेकिन इसे लहर न बनने दें

प्रसारण न्यूज • भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के 14 प्रकरण सामने आने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने फेस मास्क के उपयोग ,परस्पर दूरी और बार-बार हाथ साफ करने जैसे उपायों पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि आज कोरोना नियंत्रण के लिए आपात बैठक में भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। भोपाल के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थान पर टेस्ट की संख्या बढ़ाने और पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट करने की आवश्यकता है। सावधानी में ही सुरक्षा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नए वेरिएंट से सावधान रहने और इसके लिए जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान केबिनेट की बैठक के पहले मंत्रि-परिषद के सदस्यों संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी मंत्रीगण से अनुरोध किया कि वे भी जिलों में जन-जागरूकता के प्रयासों से जुड़ें। साथ ही अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाओं को भी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में होने वाले कोरोना टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाना चाहिए। हम सजग रहेंगे तो संक्रमण के इन मामलों को बढ़ने से रोक सकेंगे। प्रदेश में सभी का अलर्ट रहना आवश्यक है।

प्रसारण

प्रसारण 1/12/21

जनसुनवाई में फिर लगने लगा शिकायतों का अंबार

कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में 32 आवेदनों को निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कलेक्टर कार्यालय में शुरू हुई जनसुनवाई के दौरान यहां पर फिर से आवेदकों की संख्या बढ़ने लगी है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान 32 आवेदक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। शिकायतकर्ताओं के द्वारा कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत रखी गई जिस पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा संबंधित अधिकारियों को शिकायत निराकरण के लिए निर्देशित किया गया है।

ग्राम धामनोद निवासी बसन्तीलाल परिहार ने बताया कि उसके द्वारा प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुरा तहसील सैलाना में शाला प्रभारी द्वारा किचन शेड का ठेका दो लाख रुपए में दिया गया था। कार्य पूर्ण करने के बाद भी 25 हजार रुपए लेना शेष है, जब भी शाला प्रभारी से राशि देने की बात की जाती है तो उनके द्वारा टालमटोल कर दिया जाता है। उक्त कार्य पूर्ण किए हुए करीब डेढ साल हो चुका है।

सहारा इंडिया के खिलाफ शिकायत

जावरा निवासी शकील शाह ने बताया कि सहारा इंडिया की आलोट शाखा में दैनिक बचत योजना के तहत 1 लाख 7600 रुपए जमा किए थे। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद जब उसने द्वारा राशि निकलवाना चाही तो भुगतान नहीं किया जा रहा है। वह दुर्घटना में घायल हो गया है जिसके चलते उपचार के लिए रुपयों की सख्त आवश्यकता है।

पत्रिका

पत्रिका 1/12/21

अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान की कार्रवाई

रतलाम। एक दिसंबर वैक्सीनेशन महाअभियान का लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित करने के निर्देश मंगलवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को दिए। बुधवार को जिले में 66 हजार वैक्सीन लगाए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूल आने वाले बच्चों से पूछा जाए कि उनके माता-पिता ने वैक्सीन लगवाया या नहीं।

विगत महाअभियान में कार्य में लापरवाही पाए जाने पर नोडल अधिकारी बनाए गए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आलोट अनुविभाग में पदस्थ दो उपयंत्रियों तथा आबकारी विभाग के एक निरीक्षक को निलंबित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के परिवार भी शत-प्रतिशत वैक्सीनेट हो। जिले में अभी एक लाख से ज्यादा व्यक्ति सेकंड डोज के लिए ड्यू है, जो चिंता का विषय है।

जनसुनवाई में निगम के 651 आवेदन पेंडिंग

जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की गई। इसमें नगर निगम के 651 आवेदन पेंडिंग पाए गए

जिनका दो सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में नगर निगम तथा अन्य नगरीय निकायों के हितग्राही लक्ष्य समीक्षा में बताया गया कि नगर निगम के पास वर्तमान में 5300 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। कलेक्टर ने दिसंबर माह में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश निगमायुक्त को दिए।

डीईओ को मध्यान्ह भोजन की जानकारी नहीं

बैठक में कलेक्टर ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक समय सीमा समीक्षा बैठक में उनके कार्यपालन यंत्री अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। आंगनबाड़ी में बच्चों को पका भोजन उपलब्धता की जानकारी कलेक्टर द्वारा प्राप्त की गई। जिले के सैलाना, बाजना, ताल, आलोट क्षेत्रों में खासतौर पर मानिटरिंग के निर्देश महिला बाल विकास अधिकारी को दिए गए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा से पूछा कि स्कूलों में मध्या-भोजन शुरू हुआ अथवा नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनभिज्ञता व्यक्त करने पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मध्या- भोजन की जानकारी रखना आपका दायित्व है, लेकिन आप अनभिज्ञ हैं यह लापरवाही ठीक नहीं है। कलेक्टर ने उनके टूर प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी ली।

खाली प्लाट पर रेत के ढेर

जिला खनिज अधिकारी के प्रति भी कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई कि शहर में खाली प्लाटों पर रेत के ढेर दिखाई देते हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए।

मास्क नहीं लगाने पर फाइन

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों 100 रुपये फाइन वसूला जाए। भोपाल में जिस प्रकार 500 रुपये फाइन किया गया है, उसी प्रकार जिले में भी मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपये का फाइन वसूलने पर विचार किया जा रहा है। नई.

नईदुनिया 1/12/21

अवैध कॉलोनियों की खेती • रिकॉर्ड जुटाकर नगर निगम ने एफआईआर के लिए तैयार किए प्रतिवेदन

7 अवैध कॉलोनियां बनाने वाले 14 भूमाफिया पर होगा केस, विरियाखेड़ी में हो रहे अवैध निर्माण टूटेंगे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

बिना अनुमति 7 अवैध कॉलोनियों बनाने वाले 14 से ज्यादा भूमाफिया और कॉलोनाइजरों पर नगर निगम दो-तीन दिन में एफआईआर करा देगा। इनमें अशोक नगर, कनेरी रोड, धोलावड़ रोड, अर्जुन नगर, दिलीप नगर सहित अन्य इलाकों में अवैध कॉलोनियों बनाकर बेचने वाले कॉलोनाइजरों शामिल हैं। कई दिनों से अटकी पड़ी फाइलें आगे बढ़ गई हैं। रिकॉर्ड जुटाने के बाद अफसरों ने पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने के प्रतिवेदन तैयार कर लिए हैं। बुधवार को फाइलों पर आला अधिकारियों के हस्ताक्षर होते ही संबंधित थानों में एफआईआर के लिए भेज दिया जाएगा। इन भूमाफिया ने बिना परमिशन अवैध कॉलोनी विकसित करते हुए सीसी रोड, बाउंड्रीवॉल, बिजली पोल लगाने सहित अन्य निर्माण कर लिए थे। राजस्व विभाग की जांच के बाद नगर निगम, राजस्व और पुलिस अमले ने 2 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच पांच बड़ी कार्रवाई करके 9 कॉलोनियों के अवैध निर्माण को तोड़ा था। अभी इनमें से 7 की ही जांच पूरी हो पाई हैं। बाकी दो अवैध कॉलोनियों के दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। इसके बाद विरियाखेड़ी इलाके में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कॉलोनियों में बनाई सीसी रोड, बाउंड्रीवॉल और बिजली पोल को किया जा चुका जमींदोज

धोलावड़ रोड की उखड़ी अवैध कॉलोनी की सड़क। (फाइल फोटो)

विरियाखेड़ी क्षेत्र की ये जमीनें जांच के घेरे में

विरियाखेड़ी की सर्वे 129/53/1, 2, 3, 4, 5 व अन्य, 14 0/4, 150/18/2/1, 150/18/2/2 को मिलाकर 0.870 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाने का खुलासा हो चुका है। निगम अमले ने इन जमीनों के मालिकों पर कार्रवाई की तैयार कर ली है। पुरानी कार्रवाई में एफआईआर होने के बाद अगले सप्ताह से इन अवैध कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण को हटाया जाएगा। सिटी इंजीनियर सुरेशचंद्र व्यास ने बताया अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के बाद पुलिस प्रकरण दर्ज कराने के प्रतिवेदन तैयार हो गए हैं। बुधवार को संबंधित थानों को भेज दिए जाएंगे।

इन इलाकों की कॉलोनियों पर भी नजर : • होमगार्ड कॉलोनी रोड, माहेश्वरी प्रोटीन रोड, करमदी रोड, डेलनपुर, खाचरौद रोड, मांगरोल फंटा, त्रिवेणी रोड।

अब तक की कार्रवाई : भूमाफिया की इन अवैध कॉलोनियों पर चल चुका है बुलडोजर

- मुजीब रहमान, अलोशरफ बेलीम, बालकि-शन पिपलौदिया व अन्य (अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे सर्वे नंबर534/2 मीन 2 की 0.130 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 534/4/2/2 की 0.225 हेक्टेयर और 534/4/1/2 की 0.064 हेक्टेयर को मिलाकर अवैध कॉलोनी बना दी थी।
- फिरोज टीनवाला पिता मोहम्मद हुसैन (अर्जुन नगर में सर्वे 135-2 रकबा 0.300 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाई)
- राजेंद्र कुमार पिता जेठमल व तीन अन्य (अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे सर्वे नंबर 538/1 मीन 1 की 0.206 हेक्टेयर में अवैध कॉलोनी काटी, कुछ मकान बन गए थे)
- तेजसिंह पिता शंभूसिंह धबाई निवासी धबाईजी का वास (सर्वे 1009-1 रकबा 4.260 हेक्टेयर में से ऊंकाला रोड तरफ वाली जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाई)
- कमला पिता समरथमल चौपड़ा निवासी दिलीप नगर (बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करते हुए सड़क सहित अन्य सहित निर्माण किया)
- कांतिलाल पिता मिश्रीमल जैन, शिवनारायण पिता मांगीलाल राठौर, अशोक पिता मांगीलाल राठौर, यशोदाबाई पति मांगीलाल राठौर, कमलेश पिता कांतिलाल, सोनम पति अंकित जैन, स्वाति पति कमलेश राठौड़, कमलेश राठौड़ व सात अन्य (कनेरी रोड की सर्वे नंबर 872/2 की जमीन पर सड़क बनाकर प्लाट व कॉटेज बेच रहे थे)
- धन्नालाल पिता बालाराम (कनेरी रोड की सर्वे 736/21/1/2 की 0.960 हेक्टेयर जमीन पर सड़क व बाउंड्रीवाल बनाकर बड़े प्लाट काटकर बेच रहे थे)
- राधाबाई पति मनोहरलाल शर्मा, राकेश पिता मनोहरलाल, विशाल पिता मनोहरलाल शर्मा (सर्वे नंबर 863/1 की 1.85 हेक्टेयर जमीन पर सीसी सड़क, बिजली के पोल लगा कर अवैध कॉलोनी बना रहे थे)
- सुमित पिता बंशीलाल गांधी, राजेश पिता बाबूलाल कटकानी, पंकज पिता समीरमल, अरुण पिता विजेंद्र पितलिया (धोलावड़ रोड की सर्वे नंबर 773/3, 775/4, 776/1, 776/2 की 1.125 हेक्टेयर जमीन पर बिना परमिशन कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे)

भास्कर

दै. भास्कर 1/12/21

56 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

भास्कर संवाददाता | रतलाम

होमगार्ड कॉलोनी के आसपास की 56 बीघा सरकारी जमीन पर भू-माफिया ने कब्जा जमा लिया है। इसकी शिकायत होमगार्ड कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर चौहान ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को की है।

शिकायत में उन्होंने बताया होमगार्ड कॉलोनी के आसपास सरकारी जमीन ज्यादा है। सर्वे नंबर 282 एवं 277 की जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है। इसकी शिकायत पहले कर चुका है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए अमला आया था। थोड़ी बहुत कार्रवाई की और उसके बाद आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, जो कार्रवाई हुई वो सिर्फ औपचारिक है। इससे तत्काल

बाजार में झूल रही केबल, दुर्घटना का खतरा

रतलाम | शहर के प्रमुख बाजार खैरादीवास में केबल झूल रही है। इससे दुर्घटना का खतरा है। सुलभ काकड़ीवाला, सुभाष पानवाला, चेतन पावेचा और सुनील मूणत ने बताया निगम को शिकायत की, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला।

दै. भास्कर 1/12/21

मुख्य पाइप लाइन में हुआ लीकेज

रतलाम. शहर के नेहरू स्टेडियम के करीब डॉ. अंबेडकर मार्ग मैदान के सामने बनी पेयजल टंकी की पाइप लाइन में मंगलवार को लीकेज हो गया। इससे शहर के कई क्षेत्रों में देरी से पेयजल वितरण हुआ। शहर के डॉ. अंबेडकर मैदान के बाहर जा रही पेयजल पाइप लाइन में सुबह लीकेज हो गया। सुबह करीब 7 बजे हुए लीकेज के बाद काफी मात्रा में पेयजल बहकर बाहर चला गया। इसके बाद यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों ने तकनीकी दल को सूचना दी। इसके बाद रखरखाव कार्य शुरू हुआ। आनंद कॉलोनी, मित्रनिवास रोड, टीआईटी रोड, स्टेशन रोड, फ्रीगंज आदि क्षेत्र में सुबह वितरण होने वाला पेयजल दोपहर बाद हुआ।

पत्रिका

पत्रिका 1/12/21

आबोहवा सुधरी : ऑरेंज जोन तक पहुंचने के बाद नवंबर में 25 दिन येलो जोन में रहा रतलाम, पिछले साल से अच्छा एक्यूआई

2020 में रेड जोन में भी आया था हमारा शहर, एक्यूआई 300 के पार तक पहुंच गया था, इस साल दो दिन 100 से भी कम रहा

भास्कर संवाददाता | रतलाम

प्रदूषण के मामले में नवंबर महीना राहत दे गया। जी हां, 14, 15 और 16 नवंबर को हमारा शहर ऑरेंज जोन में आ गया था, एक्यूआई 200 से ज्यादा था लेकिन, इसके बाद स्थितियां सुधरने लगी। पूरे महीने में 25 दिन ऐसे हैं, जब एक्यूआई का लेवल येलो जोन में रहा। यह अच्छा है क्योंकि, पिछले साल नवंबर में एक्यूआई.का स्तर रेड जोन में आ गया था। जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी आबोहवा जरूरी है। आबोहवा कितनी शुद्ध है, यह एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है। इस महीने 13 नवंबर तक एक्यूआई 100 से 170 के बीच रहा था, जो कि येलो जोन में था। इसके बाद 14 नवंबर को 217, 15 नवंबर को 218 और 16 नवंबर को 216 पर पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद स्थिति सुधरी महीने के आखिरी तक एक्यूआई 155 से कम रहा। पूरे महीने में दो दिन 24 नवंबर को एक्यूआई 81 और 26 नवंबर को एक्यूआई 97 रहा था, जो कि सबसे बेहतर था।

पिछले साल 1 दिन ही ग्रीन जोन में था

पिछले साल एक्यूआई का लेवल एक दिन ही ग्रीन जोन में रहा था। 11 नवंबर को एक्यूआई 302 तक पहुंच गया था, जो कि चिंतनीय था। वहीं, 3, 12, 15 और 26 नवंबर को एक्यूआई ऑरेंज जोन में रहा था।

फरवरी के बाद ऑरेंज जोन में नहीं आया था शहर

इस साल नवंबर में 9 महीने बाद आबोहवा बिगड़ी थी। 4 फरवरी के बाद शहर ऑरेंज जोन में आया था। वहीं, जनवरी में 4 दिन ऑरेंज जोन में रहा था। मार्च के पूरे महीने में एक्यूआई 150 से कम था। जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूरा महीना ग्रीन जोन में रहा था।

50 से कम एक्यूआई यानी शुद्ध हवा : एक्यूआई लेवल 50 से कम होने पर हवा शुद्ध मानते हैं। एक्यूआई लेवल लंबे समय तक ऑरेंज जोन में रहता है तो संवेदनशील लोगों को परेशानी हो सकती है। 300 से ज्यादा एक्यूआई रेड जोन है, लंबे समय तक ऐसा रहे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 400 से ज्यादा एक्यूआई अति खराब है।

भास्कर

दै. भास्कर 1/12/21

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान का शुभारंभ

दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होंगे विभिन्न कार्यक्रम - झारिया

रतलाम ● स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जन सहभागिता जरूरी है। बगैर जनभागीदारी के स्वच्छता बनाए रखना कठिन भी है, स्वच्छता में जन सहयोग जरूरी है, मगर यह सहयोग सच्चे मन से होना चाहिए। तभी हम शहर को स्वच्छता के मामले में नम्बर-1 बना पाएंगे। हम आपके सहयोग और सहकार से इस बार जीत सकते है।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सोमवार को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देश पर धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त करते हुए तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया। धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में आए बेहतर परिणामों के लिए सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छागृहीगणों आदि का सम्मान किया जाना है। शुभारंभ अवसर पर शहर के चारों झोनों पर समारोह आयोजित कर सफाई मित्रों, सहयोगी संस्थाओं और स्वच्छागृहीगणों आदि का पुष्प मालाओं, पुष्प गुच्छों व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया।

श्री झारिया ने बताया कि प्रशिक्षण सह धन्यवाद ज्ञापन समारोह का आयोजन, 1 व 2 दिसम्बर को घरों से कचरा संग्रहण के दौरान सभी नागरिकों का उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन, शहर में स्वच्छता एप का प्रचार-प्रसार और स्वच्छता एप के माध्यम से शिकायत समाधान, 3 व 4 दिसम्बर को सार्वजनिक क्षेत्रों में सफाई रखने के लिए नागरिकों एवं व्यापारिक संस्थानों, छोटी बड़ी सभी दुकानों आदि में नगर निगम व एनजीओ की टीम के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क और धन्यवाद ज्ञापन, शहर में स्वच्छता एप का प्रचार-प्रसार और स्वच्छता एप के माध्यम से शिकायत समाधान व 5 व 6 दिसम्बर को सार्वजनिक शौचालयों के संचालकों का उनके स्थान पर ही जाकर सम्मान व शहर में स्वच्छता एप का प्रचार-प्रसार और स्वच्छता एप के माध्यम से शिकायत समाधान करवाना है। इस अवसर पर उपायुक्त विकास सौलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी जी.के. जायसवाल, झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर नवोदित बैरागी, अनुज शर्मा, श्रीमती दिव्या पाटीदार जोशी व शैलेन्द्रसिंह कटारिया, अशोक शर्मा सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

स्वदेश

स्वदेश 1/12/21

सीसीटीवी कंट्रोल रुम से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बना रही चालान

अब गलत पार्किंग पर तीसरी आंख से रखी जा रही नजर

एसपी के निर्देश पर सुचारु यातायात के लिए एक्टिव हुई पुलिस

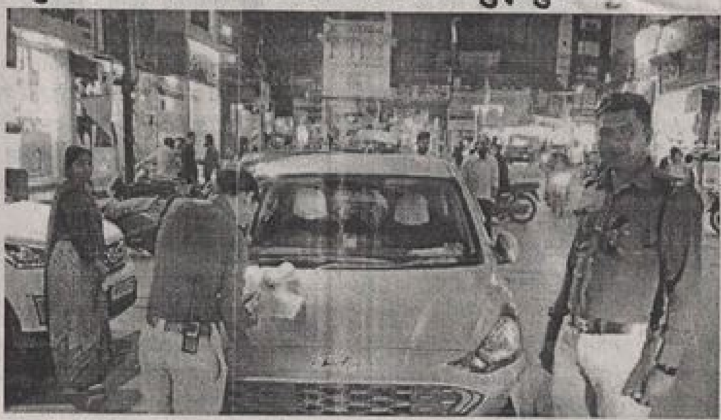

रतलाम। शहर के बेहाल यातायात को सुचारू करने के लिए रतलाम पुलिस एक्टिव हुई है। एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर अब तीसरी आंख याने सीसीटीवी कैमरे से गलत पार्किंग पर नजर रखते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आमजन को सड़क पर आगे तक वाहन खड़े न करने की समझाइश भी दे रही है।

रतलाम शहर में यातायात की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण और गलत पार्किंग की वजह से बाजार में दिनभर जाम की स्थिति बनी रहना आम बात हो गई है। कुछ दिनों पूर्व सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी यातायात सुधारने के लिए कई निर्णय लिए गए लेकिन मैदानी स्तर पर कोई खास बदलाव देखने को अभी तक नहीं मिला है। निर्णय के अनुसार सड़कों पर पार्किंग लाइन जरूर खींची गई है।

अब रतलाम पुलिस ने एक्टिव होते हुए इस पार्किंग लाइन का पालन कराने के प्रयास शुरू कर दिए है। एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से गलत पार्किंग पर निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से बाजार क्षेत्र में पूरे समय यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। पार्किंग लाइन के बाहर वाहन खड़े करने पर सीसीटीवी कंट्रोल नंबर से यातायात पुलिस और संबंधित थाने को सूचना दी जा रही है। जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंच कर गलत पार्किंग में खड़े वाहन का चालान बना रहे हैं। पुलिस द्वारा आम जनता को लगातार अपने वाहन सही स्थान में पार्किंग करने की समझाइश भी दी जा रही है ताकि यातायात सुचारु रखा जा सके।

स्वतंत्र लेखनी 1/12/21

अवैध कालोनी निर्माण करने वाले 15 लोगों पर होगी एफआइआर

निगम ने थाना प्रभारियों को लिखा पत्र, अवैध निर्माण तोड़ने में लगे खर्च की वसूली भी होगी

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। गत दिनों अवैध कालोनियों में निर्माण तोड़ने के बाद अब नगर निगम संबंधित कालोनाइजरों पर एफआइआर करवाने की कार्रवाई कर रहा है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार शहर में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रविधानों के विपरित नगरीय क्षेत्र में अवैध कालोनी का निर्माण करने वाले 15 व्यक्तियों पर एफआइआर दर्ज करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को पत्र लिखा गया है।

मालूम हो कि कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने के लिए निगम आयुक्त के मार्गदर्शन में इन अवैध कालोनी से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर निर्धारित 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से राशि वसूली जाएगी। जिसके तहत कालोनी निर्माण करने वालों को अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने का नोटिस जारी किया गया था।

रतलाम नगर निगम भवन। ● फाइल फोटो

इन पर दर्ज होगा प्रकरण

तेजसिंह-शंभुसिंह धभाई जी का वास द्वारा बजरंग नगर में 1.387 हेक्टेयर, शिवनारायण व अशोक-मांगीलाल राठौर 52/1, रामगढ़ द्वारा कनेरी रोड पर 2.75 हेक्टेयर, धन्नालाल-बालाराम पाटीदार कनेरी रोड द्वारा कनेरी रोड पर 0.960 हेक्टेयर, राधाबाई पति मनोहरलाल शर्मा, राकेश मनोहरलाल, विशाल-मनोहरलाल शर्मा शुभम रेसीडेंसी द्वारा कनेरी रोड पर 1.890 हेक्टेयर, मुजीब-इनामुरेहमान अशोक नगर, अशरफ-अब्दुल कलाम बेलिम, अब्दुल वहीद-अब्दुल कलाम मोहन टाकीज, बालकृष्ण-रामनारायण पिपलोदिया द्वारा अशोक नगर के पीछे 0.489 हेक्टेयर, सुमित-बंशीलाल गांधी, राजेश-बाबुलाल कटकानी पोरवाड़ों का वास, पंकज-शांतिलाल श्रीमाल बाजना बस स्टैंड व अरूणा-विजेंद्र पितलिया गुलमोहर कालोनी द्वारा धोलावड़ रोड पर 1.125 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कालोनी निर्माण करने व नियम विपरित निर्माण को नगर निगम द्वारा तोड़े जाने की राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित थाना प्रभारियों को कालोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कालोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अंतर्गत अवैध कालोनाईजेशन के तहत एफआइआर दर्ज करने पत्र लिखा गया है। नगर में प्रवेश के लिए सभी प्रमुख मार्गों पर खेती की जमीन पर रोड बनाकर 5500 वर्गफीट से अधिक के प्लाट काटकर काटेज के नाम पर बेचे जा रहे हैं। प्रशासन से अलग-अलग कालोनाइजरों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। कनेरी रोड, करमदी रोड, नंदलाई रोड, सेजावत-बंजली बायपास, बिबडौद रोड, डेलनपुर, ईसरथूनी मार्ग, ईंटावामाताजी रोड सहित अन्य मार्गों के आसपास खेती की जमीन को अवैध तरीके से कालोनी में बदला गया है।

माफिया के विरुद्ध कार्रवाई में अब और तेजी : कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि माफिया के विरुद्ध कार्रवाई में अब और तेजी लाई जाएगी। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। अपर कलेक्टर को निर्देश दिए कि उनकी अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी द्वारा बैठक आयोजित कर माफियाओं द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अपराध की जांच कर सजा दिलवाई जाए।

प्लाट खरीदने के लिए कालोनाइजर को दी राशि का चेक दिलवाया

रतलाम। जिला प्रशासन ने कालोनाइजर के विरुद्ध महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मकान खरीदने के लिए दी गई राशि वापसी के लिए 98 हजार रुपये का चेक महिला को दिलवाया है। उज्जैन निवासी महिला दीपा पत्नी लालसिंह चंद्रावत ने 26 अक्टूबर को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को आवेदन प्रस्तुत कर कनेरी रोड स्थित विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी कालोनी में प्लाट खरीदने के बाद निर्मित परिस्थितियों पर शिकायत कर जमा राशि वापस दिलवाने का आवेदन दिया था। कलेक्टर ने तहसीलदार रतलाम गोपाल सोनी को जांच के लिए निर्देशित किया। आवेदन में दीपा चंद्रावत द्वारा बताया गया कि विंध्यवासिनी ग्रीन सिटी कालोनी में 1200 वर्ग फीट का प्लाट 12 लाख रुपये में क्रय करने का सौदा निर्मल राठौड़ एवं सैयद शराफत हुसैन मेसर्स बालाजी बिल्डिंग मटेरियल, रतलाम से किया था। 50 हार रुपये बुकिंग के समय तथा शेष राशि किस्तों के रूप में जमा करवाई। विक्रेता द्वारा रसीद नहीं देने व अनुबंध नहीं करने से शंका होने पर सौदा निरस्त करने और राशि लौटाने को कहा। विक्रेता द्वारा इससे इनकार करने पर कलेक्टर से शिकायत की।

विक्रेता का अनुचित आचरण : तहसीलदार शहर गोपाल सोनी ने बताया कि शिकायत की जांच में विक्रेता द्वारा अनुचित आचरण होना पाया गया है। विक्रेता से महिला को जमा राशि 98 हजार रुपये का चेक दिलवाया गया है।

नई.

नईदुनिया 1/12/21

जनसहयोग से ही रतलाम शहर स्वच्छता में बनेगा नम्बर-1

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के शुभारंभ अवसर पर नगर निगम आयुक्त ने शहवासियों से किया आव्हान

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता जन सहभागिता जरूरी है। बगैर जनभागीदारी के स्वच्छता बनाए रखना कठिन भी है स्वच्छता में जन सहयोग जरुरी है, मगर यह सहयोग सच्चे मन से होना चाहिए। तभी हम शहर को स्वच्छता के मामले में नम्बर-1 बना पाएगे। हम आपके सहयोग और सहकार से इस बार जीत सकते है।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सोमवार को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देश पर धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त करते हुए तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया।। सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरुक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में आए बेहतर परिणामों के लिए सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छगृहीगणों आदि का सम्मान किया जाना है। अभियान के शुभारंभ अवसर पर शहर के चारों झोनों पर समारोह आयोजित कर सफाई मित्रों, सहयोगी संस्थाओं और स्वच्छगृहीगणों आदि का पुष्प मालाओं, पुष्प गुच्छों व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। २७

राज एक्सप्रेस 1/12/21